न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस.

राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम अपील संख्या 001/2023

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
सन्नी हंस पुत्र श्री राकेश हंस जाति वाल्मिकी निवासी पंचोलिया की नाडी, चौपासनी रोड, पुलिस थाना प्रतापनगर (सदर) जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये पुलिस उपायुक्त जोधपुर (पूर्व) पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर महानगर

अपील अन्तर्गत धारा 6 राज0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय पुलिस उपायुक्त (पूर्व) पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर महानगर जो फौजदारी मुकदमा संख्या 13/2022 अनवान सरकार बनाम सन्नी हंस में दिनांक 02.05.2023 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. **श्री एम0 ए0 राव, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।**
2. **श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।**

निर्णय

दिनांक 09 जनवरी, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि थानाधिकारी प्रताप नगर सदर जोधपुर द्वारा एक इस्तगासा धारा 3 राज0 गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत न्यायालय पुलिस उपायुक्त पूर्व जोधपुर के समक्ष पेश किया गया, जिसमें अपीलांट के विरूद्व यह आरोप लगाये गये कि उसके विरूद्व 13 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्व हुए है जो सभी प्रकरण वर्तमान में लंबित है जिस पर रेस्पोडेन्ट न्यायालय के द्वारा अपीलांट को धारा 3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत नोटिस तलब किया गया जिस पर अपीलांट की और से जवाब पेश किया गया।

रेस्पोडेंट की तरफ से थानाधिकारी प्रताप नगर सदर, जोधपुर पी.डब्लयू 01 के बयान कलमबद्व किये गये, उसके पश्चात अपीलांट की ओर से 2 स्वतंत्र गवाही डी डब्ल्यू 01 महेन्द्र एवं डी. डब्ल्यू 02 रमेश के बयान कलमबद्व करवाये गये। अपीलांट के अधिवक्ता सेशन प्रकरण की साक्ष्य हेतु पोक्सो कोर्ट, नागौर गये होने की वजह से बहस के समय उपस्थित नही हो सके। न्यायालय पुलिस उपायुक्त, पूर्व जोधपुर द्वारा दस्तावेजों की नकल दिये बिना ही तथा अधिवक्ता की अनुपस्थिति में फौजदारी मुकदमा संख्या 13/2022 में दिनांक 02.05.2023 को निर्णय पारित करते हुए अपीलांट को धारा 3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत 04 माह की अवधि के लिये जोधपुर से निष्कासित कर चुरू जिले

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

के सालासर थाने के नियंत्रण में रहने के आदेश दिये गये जिससे व्यथित होकर अपीलांट निम्न आधारो पर अपील प्रस्तुत की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि जोधपुर शहर हेतु जनवरी, 2011 में पुलिस कमिशनरेट प्रणाली लागू होने के बाद धारा 20 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत सहायक पुलिस उपायुक्त एवं पुलिस उपायुक्त को कार्यपालक मजिस्टेट की शक्तियां प्रदत की गई।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलांट के विरूद्व थाना प्रताप नगर सदर जोधपुर में इस्तगासा पुलिस प्रस्तुत किया गया है वो प्रकरण को पेश करने का अधिकार नहीं रखते है जिसके लिये पुलिस उपायुक्त पश्चिम ही सक्षम अधिकारी है, तत्पश्चात भी पुलिस उपायुक्त पश्चिम ने स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होकर जरिये लोकअभियोजक के इस्तगासा पेश किया है जो कि कानून के अनुसार विधिसम्मत नहीं होने से उक्त कार्यवाही निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को गवाहो के बयान एवं गवाहो से प्रदर्शित करवाये गये दस्तावेजो की नकल प्राप्त करने के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हेतु उसको अपने बचाव व बहस हेतु दस्तावेज उपलब्ध नही करवाये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में अपीलांट के अधिवक्ता की गैर हाजरी में उनकी बिना बहस सुने ही उपरोक्त निर्णय पारित किया है वो इस आधार पर भी निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि प्रस्तुत किये गये इस्तगासे के साथ किसी भी थाने की ऐसी कोई रोजनामचा रिपोर्ट की नकल पेश नही की गई, जिसमें अपीलांट पर आमजन को डराने धमकाने एवं परेशान करने के आरोप हो।। इस्तगासे के साथ पी डब्ल्यू 01 मुक्ता पारीक ने 13 आपराधिक प्रकरण की लिस्ट अपीलांट के विरूद्व विचारण होने बाबत पेश की है। जबकि इसी गवाह मुक्ता पारीक ने पूर्व में कार्यपालक मजिस्टेट जोधपुर महानगर के न्यायालय में धारा 110 सीआरपीसी इस्तगासे में केवल 07 प्रकरण वाली लिस्ट को प्रदर्श डी 01 पेश किया है। जबकि गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 08 में स्पष्ट प्रावधान है कि इस अधिनियम में भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है, परन्तु मातहत अदालत ने जो गवाहो के बयान लिये है वो साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत कलमबद्व किये है। उपरोक्त अधिनियम में मातहत अदालत को केवल इस प्रकरण में जांच का ही प्रावधान है परन्तु मातहत अदालत ने प्रकरण की जांच नहीं करके पूरा विचारण कर दिया जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलांट ने अपने बचाव में दो स्वतंत्र गवाहों के बयान मातहत अदालत में कलमबद्व करवाये गये है। उनके बयानो को नजर अन्दाज कर अपने आदेश में गवाहो के बयानो को तवज्जो नहीं दी गई, जो विधि सम्मत नहीं है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि मातहत अदालत ने अपीलांट को जो नोटिस दिया है वह नोटिस धारा 3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के प्रारूप के अनुरूप नहीं है। उक्त नोटिस मे कहीं पर भी उन तथ्यों का समावेश नहीं किया गया जिससे प्रथम दृष्टया यह साबित हो सकें कि अपीलांट के कृत्य के कारण व उसके विचरण के कारण आम जनता में भय अथवा भयभीत है अथवा वह इस प्रकार के अपराध स्वयं करने अथवा

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

इस प्रकार के अपराधो को उत्प्रेरित करने का कृत्य करता है। इस संबंध में मात्र प्रारूप को ही नोटिस के अन्तर्गत लिख दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को जो नोटिस दिया गया वह मात्र एक मेकेनिकल नोटिस था और अपीलांट उक्त नोटिस का जवाब नहीं दे सका व अपीलांट का केस प्रीज्यूडिश कॉज हुई इसी आधार पर अदालत मातहत द्वारा की गई कार्यवाही निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलांट के विरूद्व गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करके पत्रावली को संबंधित पुलिस उपायुक्त पश्चिम के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया जिन्होंने इस मामले में अग्रिम कार्यवाही की गई। पुलिस उपायुक्त पश्चिम जोधपुर ने किसी भी प्रकार से अपने मस्तिष्क के अनुसार विवेचन कर पत्रावली को आगे पेश नहीं किया। ऐसी स्थिति में पूरा इस्तागासा ही मात्र थानाधिकारी के द्वारा ही तैयार किया गया तथा उन्हीं के द्वारा निष्कासन हेतु प्रार्थना पत्र पुलिस उपायुक्त पश्चिम के समक्ष की गई और पुलिस उपायुक्त पश्चिम ने बिना विवेचन किये तथा मस्तिष्क व पत्रावली का अवालोकन किये मात्र अपने हस्ताक्षर से न्यायालय के समक्ष इस्तगासा पेश कर दिया जबकि विधि के अनुसार यह सभी कार्यवाही पुलिस उपायुक्त पश्चिम को स्वयं करनी चाहिए थी परन्तु पुलिस उपायुक्त पश्चिम ने ऐसा नहीं कर विधि के अनुसार कानून भूल की है तथा अदालत मातहत के द्वारा उक्त इस्तगासे पर प्रसंज्ञान लेकर अपीलांट के विरूद्व कार्यवाह कर कानून का उल्लंघन किया है व इसी आधार पर पूरी कार्यवाही निरस्त करने योग्य है। थानाधिकारी ने यह कथन किया कि अपीलांट को किसी भी न्यायालय के द्वारा आज दिन तक सजा हुई है व ना ही दोषी माना है एवं न ही दोष सिद्वि बाबत अपीलांट के विरूद्व किसी प्रकार का साक्ष्य पत्रावली पर आया है और न ही अभियोजन ने किसी प्रकार का कोई साक्ष्य अपीलांट के विरूद्व प्रस्तुत की है। गुण्डा की परिभाषा में किसी व्यक्ति का प्रकरण आना एक अलग बात है परन्तु निष्कासन के लिए धारा 3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 (स) के अन्तर्गत इस प्रकार की साक्ष्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत करनी आवश्यक थी। धारा 3 के सभी प्रावधान की पालना नहीं होने के कारण अपीलांट को जोधपुर शहर से निष्कासित करने का आदेश दिया वह त्रुटिपूर्ण है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अदालत मातहत ने अपने आदेश में यह भी अंकित नहीं किया अपीलांट को निष्कासित करने के क्या क्या कारण है। वर्तमान में लम्बे समय से अपीलांट के विरूद्व किसी भी प्रकार को कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। अपीलांट के द्वारा अपने जवाब में स्पष्ट तौर से अंकित किया कि उसके द्वारा 6 प्रकरणो में बरी किया जा चुका है व 7 प्रकरण में न्यायालयो में विचारण होने से लम्ब्ति है। यानिकी अपीलांट को किसी भी प्रकरण में ना ही सजा हुई है न ही दोष सिद्व किया गया है। अर्थात अपीलांट किसी भी न्यायालय से दोष सिद्व नही है। अदालत मातहत ने इस तथ्य की और गौर नहीं कर कानूनी भूल की है। अपीलधीन निर्णय एकपक्षीय निर्णय है। अदालत मातहत ने अपीलांट के द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया उसका विवेचन नहीं किया। अदालत मातहत में स्वयं अपीलांट उपस्थित हुआ तथा उसने न्यायायल के समक्ष अपने शपथ पत्र बयान दिये तथा कथन किया कि अपीलांट निर्दोष है। तथा उक्त प्रकरण

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

झूठा मनगढंत है। वह एक गरीब व्यक्ति है तथा शहर जोधपुर में अपनी जान पहचान से मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला एक मात्र व्यक्ति है। तथा मातहत न्यायालय का अपीलांट के दो बच्चे जोधपुर शहर में ही अध्ययनरत है। जिन्हे स्कूल से लाने व ले जाने का कार्य भी अपीलांट ही करता है। यह बात भी मातहत न्यायालय को बताई पर मातहत अदालत ने अपीलांट के बच्चों के भविष्य को दरकिनार रखते हुए उक्त आलोच्य आदेश पारित किया। उक्त वजुहातों को भी अवलोकन नहीं कर न्यायालय ने अपीलांट को निष्कासित कर कानूनी भूल की हैं। अदालत मातहत ने अपीलांट को सालासर पुलिस थाना क्षेत्र मे 04 माह तक रहने हेतु निष्कासित किया है जो कि विधि के प्रतिकूल है। इस प्रकार कोई अधिकार नहीं था कि वह भारत वर्ष में मात्र एक शहर में अपीलांट को रहने हेतु 4 माह कि अवधि के लिए पाबंद करे इस प्रकार की पाबंदी करने से अपीलांट के मौलिक अधिकारो का हनन हुआ है। जो कि विधि सम्मत नहीं है। भारतीय संविधान की धारा 19 व 21 का उल्लंघन किया है। तथा यह निर्णय असंवैधानिक है। अपने कथनों के समर्थन में निर्णय नजीर लॉज (राज) 1979.11.09 शिवशंकरसिंह बनाम राज0 राज्य, उम्मेदाराम वगै बनाम राज0 राज्य 03 जनवरी, 1984 अवलोकनार्थ पेश किये।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि पुलिस उपायुक्त (पूर्व), जोधपुर के द्वारा अपीलान्ट के प्रकरण में अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि पुलिस उपायुक्त (पूर्व), जोधपुर को राज0 गुण्डा अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करने का अधिकार प्रदत्त किया हुआ नहीं है। उक्त धारा के तहत किसी व्यक्ति को गुण्डा घोषित करने का अधिकार केवल मात्र जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को ही प्रदत्त किये हुए है। ऐसे में पुलिस उपायुक्त (पूर्व), जोधपुर के द्वारा की गई समस्त कार्यवाही प्रभावहीन हो जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा डी.बी. हैबियस कार्पस रिट पिटीशन संख्या 235/2016 अनवान राजेश शर्मा उर्फ राजू पण्डित बनाम राज0 राज्य वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2017 में राज0 पुलिस अधिनियम 2007 में राज0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत पुलिस आयुक्त को प्रदत्त की गई शक्तियों के अनुसार कार्यवाही करने को विधिपूर्ण नहीं माना है तथा जिला मजिस्ट्रेट को ही अधिकृत माना है। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से परे होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 16435/2023 अनवान सन्नी हंस बनाम राज0 राज्य वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 09.11.2023 की प्रति अवलोकनार्थ पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन अपील प्रकरण में रेस्पोडेन्ट (Comptetnt authority) को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.11.2023 से दो माह की अवधि में निर्णित करने के आदेश प्रदान किये गये है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे एवं न्यायालय पुलिस उपायुक्त (पूर्व), जोधपुर के द्वारा प्रकरण संख्या 13/2023 सरकार बनाम सन्नी हंस में पारित निर्णय दिनांक 2.5.2023 को अपास्त कर अपीलान्ट के विरूद्ध निष्काशन के आदेश को रदद किया जावें।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रत्युतर में राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि न्यायालय पुलिस उपायुक्त (पूर्व), जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 2.5.2023 के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध थानाधिकारी, पुलिसथाना प्रतापनगर की ओर से पेश प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता के तहत छः माह की अवधि में 03 से अधिक प्रकरण दर्ज होने तथा चालान न्यायालय में पेश होने पर राज0 गुण्डा नियंत्रण के तहत अपीलान्ट को जोधपुर जिले से 04 माह के लिये निष्कासित करते हुए सालासर थाने के समक्ष उपस्थित रहने का आदेश पारित किया है जो उचित होने से बहाल रखा जावें।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के राज0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही बाबत क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में माननीय राज0 उच्च न्यायालय के द्वारा डी.बी. हैबियस कार्पस रिट पिटीशन संख्या 235/2016 अनवान राजेश शर्मा उर्फ राजू पण्डित बनाम राज0 राज्य वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2017 का अवलोकन किया गया।

अपीलान्ट के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 16435/2023 अनवान सन्नी हंस बनाम राज0 राज्य वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 09.11.2023 की प्रति अवलोकनार्थ पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन अपील प्रकरण में रेस्पोडेन्ट (Comptetnt authority) को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.11.2023 से दो माह की अवधि में निर्णित करने के आदेश प्रदान किये गये है।

राज्य सरकार की ओर से गृह विभाग, जयपुर के द्वारा जारी जिस अधिसूचना दिनांक 02.02.2011 के द्वारा राज0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस आयुक्त, जोधपुर को अधिकृत किया गया है, उसको आदिनांक निरस्त नहीं किया गया है। ऐसे में वह वर्तमान में भी प्रभाव है जिसके तहत ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है। ऐसे में अपीलान्ट का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय को इस अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं था, स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उल्लेखित प्रकरण में अपना पक्ष रखे जाने हेतु नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया एवं अपना पक्ष रखे जाने हेतु एवं गवाह पेश करने हेतु अवसर चाहा गया जो प्रदान किया गया। अपीलान्ट को पर्याप्त समय दिये जाने एवं समयावधि में गवाह पेश नहीं किये जाने एवं साक्ष्य पेश नहीं किये जाने के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत किसी के विरूद्ध कार्यवाही करने से पूर्व गैर सायल को सुनवाई एवं साक्ष्य का पूर्ण अवसर प्रदान करने के

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उपरान्त ही विधि अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये, जो अपीलान्ट के प्रकरण में नहीं की गई है। ऐसे में हमारी विनम्र राय में अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2023 को निरस्त करते हुए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हुए अपीलान्ट को अपना पक्ष रखे जाने व सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये जाने के उपरान्त पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की यह अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपायुक्त पुलिस (पूर्व), जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2023 को निरस्त कर प्रकरण उपायुक्त पुलिस (पूर्व), जोधपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट के प्रकरण में अपीलान्ट को अपना पक्ष रखे जाने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने उपरान्त पुनः विधि अनुरूप निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 09 जनवरी, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर